



पत्रांक ५८३/२४१/एन.यू.एल.एम./तीन/2001(ई.एस.टी.एण्ड पी) दिनांक : १३/३/१५  
सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त  
नगर निगम,  
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,  
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।

विषय: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एड पी०) के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन हेतु जारी निविदा के अनुसार संस्थाओं से प्राप्त निविदा के मूल्यांकन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का शहरवार चयन किये जाने हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन/राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई, सूडा उ०प्र० द्वारा निविदा संख्या-4692/241/एन.यू.एल.एम./तीन/2014 (ई०एस०टी० एण्ड पी०), दिनांक 19.02.2015 के द्वारा निविदा (आर०एफ०पी०) जारी किया गया है।

सूडा के पत्रांक-4936/241/एन.यू.एल.एम./तीन/2001 (ई०एस०टी० एण्ड पी०), दिनांक 28.02.2015 द्वारा उक्त निविदा के द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन के संबंध में समस्त निर्देश जारी किये जा चुके हैं। शहर स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों (निविदा) के मूल्यांकन हेतु समिति के गठन का निर्देश उक्त पत्र के माध्यम से निर्देशित किये जा चुके हैं।

निविदा में प्री-बिड बैठक हेतु निर्धारित दिनांक 03.03.2015 को सूडा, उ०प्र० के समागम में आयोजित की गई (प्री-बिड बैठक का कार्यवृत्त संलग्न)। इस प्री-बिड बैठक के अनुसार निविदा में दिये गये प्रावधान कि बिडर को सेवायोजन हेतु टाई-अप और प्रशिक्षणार्थीयों का सेवायोजन सिर्फ प्रदेश के अन्दर किये जाने की वाध्यता को शिथिल करते हुए संस्थाओं/एजेन्सियों को निविदा में सेवायोजन हेतु कम्पनियों के साथ टाई-अप देश के किसी भी राज्य को प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षणार्थी के सेवायोजन हेतु प्रशिक्षणार्थी की सहमति से देश के किसी भी राज्य में उसका सेवायोजन कराया जा सकता है और दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षणार्थी का 6 माह तक ट्रेकिंग का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

शासन की अनुमति के पश्चात निविदा में संशोधन जारी कर निविदा के पृष्ठ 4 के प्रस्तर संख्या-5 को विलोपित किया गया है। इस संशोधन के पश्चात एशोसिएशन/ज्वाइंट वेन्चर्स/राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत आटोनामस



एजेंसियां भी इस निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं (उक्त प्रस्तर हेतु जारी संशोधन संलग्न है)।

सूडा के पत्रांक—4936 / 241 / एन.यू.एल.एम. / तीन / 2001 / (ई०एस०टी० एण्ड पी०), दिनांक 28.02.2015 के अनुसार निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से 10 कार्य दिवसों के अन्दर शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा निविदा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का निर्धारित पैरामीटर एवं अंकों के आधार पर मूल्यांकन कर कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची एवं मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई सभी डाटा शीट राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार निविदाओं का मूल्यांकन हेतु निर्धारित पैरामीटर एवं पैरामीटर के अन्तर्गत निर्धारित किये गये अंकों का चार्ट पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्ध कराये जा रहे इन पैरामीटर एवं अंकों के आधार पर प्राप्त निविदाओं का शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा मूल्यांकन उपरान्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में संस्था का नाम, पता, दूरभाष नम्बर, प्राप्त अंक, आवेदित स्किल सेक्टर एवं अन्य कोई विवरण है तो अभ्युक्ति में उल्लेख करते हुए सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा समिति के अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ—साथ मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई सभी डाटाशीट भी राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

अतः उपरोक्तानुसार समयबद्ध तरीके से संस्थाओं के चयन का मूल्यांकन करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची उपलब्ध कराये ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

भ्रमिष्ठ  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
4. समस्त परियोजना आधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
5. समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, एन.यू.एल.एम. शहर।
6. वेब मास्टर, सूडा, को ई—मेल से प्रेषण एवं सूडा की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(श्रीप्रकाश सिंह)  
मिशन निदेशक

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने हेतु आर0एफ0पी0 संख्या—4692 / 241 / एन0यूएल0एम0 / तीन / 2014 (ई0एस0टी0एण्ड पी0), दिनांक 19.02.2015 को जारी निविदा में निर्धारित तिथि 3 मार्च 2015 को सूड़ा, उ0प्र0 के सभागार में आयोजित प्री-विड बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित शहरों (नगर निकायों) में शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देशानुसार पारदर्शी तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन हेतु आर0एफ0पी0 सं0-4692/241/NULM/ तीन/2014(ई0एस0टी0एण्ड पी0) दिनांक 19.02.2015 द्वारा संस्थाओं से तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु निविदा जारी की गई है। निविदा में निर्धारित तिथि 03.03.2015 को प्री-विड बैठक हेतु सूड़ा, उ0प्र0 के सभागार में आयोजित की गई। इस प्री-विड बैठक में 79 संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा निविदा पर काफी प्रश्न किये गये और कई बिन्दुओं पर स्पष्ट करने का आग्रह किया गया। जिनमें से मुख्य प्रश्न/स्पष्टीकरण निम्नवत हैं।

1. निविदा के अनुसार विडर सिर्फ एक शहर हेतु ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। उपस्थित अधिकांश संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा यह आग्रह किया गया कि एक शहर आवेदन किये जाने की बाध्यता को हटाया जाये।

उक्त आग्रह पर उपस्थित सभी संस्थाओं/एजेन्सियों को अवगत कराया गया कि शासन से अनुमोदित नीति के अनुसार एक संस्था/एजेन्सी एक ही शहर हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

2. प्री-विड में उपस्थित अधिकांश संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थियों को उ0प्र0 के अन्दर ही सेवानियोजन कराये जाने और निविदा में कम्पनियों के साथ उ0प्र0 के अन्दर ही सेवानियोजन हेतु टाई-अप का विवरण उपलब्ध कराये जाने की बाध्यता को शिथिल किये जाने का आग्रह किया गया।

उक्त आग्रह पर उपस्थित सभी संस्थाओं/एजेन्सियों को स्पष्टीकरण स्वरूप अवगत कराया कि निविदा में सेवायोजन हेतु कम्पनियों के साथ टाई-अप देश के किसी भी राज्य का प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थी के सेवायोजन हेतु प्रशिक्षणार्थी की सहमति से देश के किसी भी राज्य में उसका सेवायोजन कराया जा सकता है और दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षणार्थी का 6 माह तक ट्रेकिंग का विवरण उपलब्ध कराना है।

3. प्री-विड में उपस्थित कुछ संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा सर्विस टैक्स के भुगतान पर प्रश्न करते हुए स्पष्ट करने का आग्रह किया गया।

उक्त आग्रह पर उपस्थित सभी संस्थाओं/एजेन्सियों को स्पष्टीकरण स्वरूप अवगत कराया गया कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं (संस्था/एजेन्सी) को प्रशिक्षण लागत स्वरूप भुगतान की जाने वाली धनराशि में सभी करों सहित सर्विस टैक्स

समाहित है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का टैक्स सूड़ा/हूड़ा/सी०एम०एम०य० द्वारा  
देय नहीं होगा।

(श्रीप्रकाश सिंह)  
मिशन निदेशक

कार्यालय—राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक— ५/३० /२५।/NULM/लीज/२०१५(EST ६८) दिनांक ११।३।१५

प्रतिलिपि—

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
5. नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, समस्त नगर निगम, उ०प्र०।
6. अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत।
7. समस्त पी०ओ०/ए०पी०ओ०, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०।
8. वेब मास्टर, सूड़ा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

१०।३।२०१५  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
मिशन निदेशक

6/

**State Urban Livelihood Mission (SULM), Uttar Pradesh  
(State Urban Development Agency (SUDA), Uttar Pradesh)**

**ADDENDUM**

Following amendments have been made in the RFP for "EMPANELMENT OF SKILL TRAINING PROVIDERS (STP) FOR EMPLOYMENT THROUGH SKILL TRAINING AND PLACEMENT (EST&P) COMPONENT OF NULM IN UTTAR PRADESH" under NATIONAL URBAN LIVELIHOOD MISSION (NULM). RFP No. 4692/241/ NULM/Teen/2014(EST&P), dated 19.02.2015

Sl. No.	Reference clause in RFP	Reference page in RFP	Existing provisions in RFP	As amended
1.	5 point of Section 1 – Letter of Invitation	4	5 - Association / Joint Venture / autonomous registered agencies set up by the state or central government are not permitted for this assignment.	Deleted

MISSION DIRECTOR  
STATE URBAN LIVELIHOOD MISSION/SUDA, UP

*L/KP*

**22 Proposals Evaluation Methodology :**

22.1 Evaluation of the proposals will be done by the selection committee as the following parameters mentioned below:

<b>Sl. No.</b>	<b>Criteria of evaluation of technical proposal</b>	<b>Maximum Marks</b>	<b>Marks to be awarded</b>
<b>1. Existence of Organization</b>		<b>10</b>	
a)	3 to 5 years		5
b)	5 to 10 years		7
c)	more than 10 years		10
<b>2. Financial Performance of Organization</b> <b>(Average annual turnover of last 3 financial years)</b>		<b>20</b>	
a)	>1 & < 5 lakh		10
b)	>5 & < 10 lakh		15
c)	>10 & <20 lakh		18
d)	>20 lakh		20
<b>3. Organization accreditation empanelment/registered as NSDC partner/NCVT/UPSDM</b>		<b>5</b>	5
<b>4. Skill Training Experience</b> <b>(last 2 financial year ending of month 31<sup>st</sup> march 2014)</b>		<b>15</b>	
a)	200 - 700 trainees		10
b)	701 - 1500 trainees		12
c)	> 1500 trainees		15
<b>5. Placement / Employment linkages experience</b> <b>(last 3 financial year ending of month 31st march 2014)</b>		<b>15</b>	
a)	200 - 500 trainees		10
b)	501 - 1000 trainees		12
c)	> 1000 trainees		15
<b>6. Company Tie-Ups for Placements</b>		<b>10</b>	
a)	No. of 200 trained person required		6
b)	No. of 400 trained person required		8
c)	No. of 500 trained person required		10
<b>7. Training Centre &amp; facilities:</b>		<b>15</b>	
	Whether training centre is available in the proposed city (with a one-time capacity of training 30 persons & computers, equipment to provide practical training etc.) as on before RFP issued date. Provide details if training centre is available in the city (Details / photograph of training facility with descriptions, own/rented training centre document/agreement attested photocopy submitted with undertaking in plain paper)		

a)	1 training centre set-up available in the proposed city before RFP issued date (1 training centre per applied City)		5
b)	2 training centre set-up available in the proposed city before RFP issued date (2 training centre per applied City)		10
c)	3 or >5 training centre set-up available in the proposed city before RFP issued date (3 training centre per applied City)		15
<b>8. Qualified Trainers</b>	<b>Qualified regular/permanent trainer in the applied sector (CVs need to be attached applied training sector wise)</b>	<b>10</b>	
a)	Agency has appropriately qualified regular/permanent trainer as per applied sector/course (minimum 3 trainer CV for applied every per skill sector/course)		5
b)	Agency has appropriately qualified regular/permanent trainer as per applied sector/course (minimum 4 trainer CV for applied every per skill sector/course)		8
c)	Agency has appropriately qualified regular/permanent trainer as per applied sector/course (minimum 5 trainer CV for applied every per skill sector/course)		10
	<b>TOTAL</b>	<b>100 marks</b>	

W  
?